

मण्डल सैम, मण्डल कार्यालय, झाँसी

झलकारी बाई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कानपुर रोड, झाँसी उ.प्र. -284001, फोन नं.: 0510- 2321461, ईमेल: cs8252@pnbb.co.in.

नीलामी सन्दर्भ सं.: ई-नीलामी / ई -विक्रय / 2025-26 / तिमाही -04 / स. 02

दिनांक 19.02.2026

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) अंतर्गत बैंक के द्वारा बंधक बनाई गई चल / अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-विक्रय नोटिस दिया जाता है। नीचे वर्णित चूककर्ताओं ने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया था तथा इस ऋण की राशि चुकाने में विफल रहे। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी और उसके बाद बंधक सम्पत्तियों का रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है, और नीचे वर्णित सम्पत्तियों को उस तारीख को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित, "जहां है, जैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, जो बैंक / प्रतिभूति लेनदार के कारण, अपने बकायों की वसूली के लिए (सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत विक्री का निर्णय लिया है।) आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध विवरण का नीचे दी गई तालिका के अनुरूप होगी।

विक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं.	शाखा का नाम खाता का विवरण उधारकर्ता / जमानतकर्ता / खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक / सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति / यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ/सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ब/एनपीए तिथि को देय बकाया राशि स/सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि द/कब्जा का प्रकार-रचनात्मक / सांकेतिक / भौतिक कब्जा	अ/आरक्षित मूल्य (लाख में) ब/अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) / राशि जमा करने की समय सीमा स/ वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
1	शाखा-कौच, जालौन उधारकर्ता-मैसर्स स्टार कट पीस सेंटर, प्रोप-जुवेद अहमद पुत्र नफी खान,	आवासीय मकान क्षेत्रफल 850 वर्गफीट, स्थित मोहल्ला भगत सिंह नगर, कौच, जिला-जालौन (बंधककर्ता- फहमीदा बेगम पत्नी नफीस अहमद) चौहददी-पूर्व- नथू का मकान, पश्चिम-खुली भूमि, उत्तर-खाई उसके बाद थाना परिसर, दक्षिण- आरसीसी रोड	अ) 07.12.2020 ब) रू. 5,09,057.22 +ब्याज दि. 30.12.2019 से प्रभावी एवं अन्य खर्च स) 10.01.2022 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 12.00 लाख ब) रू. 1.20 लाख 17.03.2026 स) रू. 0.10 लाख	17.03.2026 पूर्वह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
2	शाखा- रेवन उधारकर्ता-श्री जाफिर पुत्र श्री कुमर	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल आवासीय मकान सम्पत्ति खम खपरेल नंबर 416/4 स्थित मोहल्ला- गोपालगंज, परगना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी। क्षेत्रफल 67.19 वर्ग मीटर (723 वर्ग फुट) जोकि श्री जाफिर पुत्र श्री कुमर के नाम पर है। डीड के अनुसार चौहददी :-पूर्व: क्रेता का मकान, पश्चिम: खलील का मकान, उत्तर: हलीम का मकान, दक्षिण: 4 फुट चौड़ा रास्ता।	अ) 29.09.2025 ब) रू. 5,94,337.98 +ब्याज एवं अन्य खर्च दि. 01.09.2025 से प्रभावी स) 23.12.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 5.00 लाख ब) रू. 0.50 लाख 27.03.2026 स) रू. 0.10 लाख	27.03.2026 पूर्वह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
3	शाखा- गिरगांव, झाँसी उधारकर्ता-श्री राम स्वरूप पुत्र श्री मोतीलाल,	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट (अब उस पर निर्मित मकान) स्थित भूमि नंबर 378, ग्राम- सुल्तानपुर, तहसील - मोठ, जिला-झाँसी। क्षे. 61 वर्ग मी. जोकि श्री राम स्वरूप पुत्र श्री मोतीलाल के नाम पर के नाम है। चौहददी- पूर्व- बड़ौदा वाले का प्लॉट, पश्चिम- जाखन वाले का प्लॉट, उत्तर- रास्ते के साथ दूसरा प्लॉट, दक्षिण- रास्ते के साथ खिल्ला वारी वाले का प्लॉट।	अ) 27.08.2025 ब) रू. 7,63,095.45 +ब्याज एवं अन्य खर्चे दि. 01.08.2025 से प्रभावी स) 29.11.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 15.00 लाख ब) रू. 1.50 लाख 27.03.2026 स) रू. 0.10 लाख	27.03.2026 पूर्वह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
4	शाखा- गिरगांव, झाँसी उधारकर्ता-श्री संतोष सिंह तोमर, बेटे श्री नारायण सिंह तोमर एवं श्रीमती क्रांति देवी, पत्नी श्री संतोष सिंह तोमर (जमानतकर्ता)	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल सम्पत्ति आवासीय मकान नं.0 314/2, भूमि नंबर 2170 वार्ड नंबर 8 गांधीनगर, ललितपुर क्षे. -78.31वर्गमी.जोकि श्रीमती क्रांति देवी पत्नी श्री संतोष सिंह तोमर के नाम पर है। चौहददी- पूर्व: श्री पंकज कुमार जैन का मकान, पश्चिम: रिप्टा नगर पालिका 8 फीट चौड़ी, उत्तर: श्री लालराम झाइवर का मकान, दक्षिण: श्रीमती उर्मिला यादव की सम्पत्ति।	अ) 20.08.2025 ब) रू. 6,13,037.99 +ब्याज एवं अन्य खर्चे दि. 01.08.2025 से प्रभावी स) 28.10.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 27.00 लाख ब) रू. 2.70लाख 27.03.2026 स) रू. 0.10 लाख	27.03.2026 पूर्वह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें- 1. विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम में वर्णित नियम एवं शर्तों एवं निम्न अन्य शर्तों के अनुसार होगा। 2. संपत्तियाँ "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय की जा रही हैं। 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 4. यह विक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर 11.00 AM से 04.00 PM तक उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोस्तराक्षरी द्वारा की जाएगी। 5. विस्तृत अधि और विक्री की शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> देखें 6. सर्विस प्रदाता का हेल्प डेस्क नम्बर +918291220220 अथवा मुख्य प्रबंधक, मंडल कार्यालय: झाँसी मो. 9458278680, ई-मेल cs8252@pnbb.co.in है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया हमारे वेबसाइट पर विजिट कर अथवा नोडल अधिकारी मुख्य प्रबंधक से मो. 9458278680 पर संपर्क करें। कृपया नोट करें: 1. प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण- कोई अधिभार ज्ञात नहीं। *सम्पत्ति का विक्रय सांकेतिक कब्जा जो "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है। भौतिक कब्जा ऋणी / प्रशासन द्वारा देने पर प्राप्त होगा। 2. यह नोटिस उधारकर्ताओं / जमानतकर्ताओं / बन्धककर्ताओं को विक्री नोटिस भी है।

विक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक: 19.02.2026

स्थान: झाँसी

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक,
मण्डल कार्यालय झाँसी